"कृषि ड्रोन एज ए सर्विस" परियोजना का चयन करने वाले लाभुकों से संबंधित सूचना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत सूचीबद्ध 59 परियोजनाओं में से कृषि ड्रोन एज ए सर्विस परियोजना हेतु चयनित लाभुकों के द्वारा कृषि ड्रोन की खरीदारी एवं संचालन में आ रही समस्याओं को देखते हुए लाभुकों को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया जाता है :–

- लाभुक द्वारा डी0पी0आर0 में वर्णित उपकरणों की सूची के अनुरूप ही ड्रोन की खरीदारी करनी होगी।
- लाभुक द्वारा खरीदा गया ड्रोन स्मॉल कैटेगरी (वजन–अधिकतम 25 Kg., ईंजन / मोटर की संख्या–06, Sprayer payload- 10 Ltr. और Seed capacity-08 Kg.) का होना चाहिए।
- ड्रोन की बैटरी 22,000 mAh की क्षमता का होना चाहिए।
- ड्रोन का UIN लाभुक के नाम से होना चाहिए, जिसे डिजिटल स्काई की बेवसाईट https://digitalsky.dgca.gov.in/ पर देखा जा सकता है।
- लाभुक जिस कंपनी से ड्रोन खरीद रहे हैं, उस कंपनी के साथ वर्क एग्रिमेंट 1,000.00 रुपये के स्टाम्प पर होना चाहिए, जिसमें ड्रोन विक्रेता कंपनी द्वारा 02 वर्ष के लिए न्यूनतम 06.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष कृषि ड्रोन स्प्रे कार्य आदेश प्रदान करना होगा।
- लाभुक ड्रोन की खरीदारी करते समय यह जानकारी अवश्य मांगे कि कंपनी ड्रोन स्प्रे सर्विस के क्षेत्र में कितनी अनुभवी है तथा कंपनी के पास स्प्रे का वर्क कहां से तथा कितने का मिला है। इन सभी तथ्यों से संतुष्ट होने के उपरांत ही लाभुक कंपनी से ड्रोन की खरीदारी करेंगे।

15/3/24

निदेशक,
तकनीकी विकास निदेशालय,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।